संख्या–738 /पांच–5–2020

प्रेषक,

वी0 हेकाली झिमोमी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2–समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3–समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–5 **लखनऊ दिनॉक 28 मार्च, 2020**

विषयः–मुख्य बस अड्डों पर आने वाले प्रवासी मजदूरों के चिकित्सीय जाँच हेतु टीमों की व्यवस्था हेतु

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि देश के विभिन्न राज्यों से उत्तर प्रदेश आने वाले प्रवासी मजदूरों हेतु प्रदेश से बसों की व्यवस्था की गई है। नोवेल कोरोना वायरस (कोविड–19) के प्रसार को रोकने हेतु आने वाले सभी प्रवासी मजदूरों की चिकित्सीय जाँच आवश्यक है। अतः सावधानी और बचाव के दृष्टिगत जनपद के मुख्य– मुख्य बस स्टेशनों पर दो चिकित्सीय टीमें एवं छोटे बस अड्डों पर एक मेडिकल टीम की तैनाती कर दी जाए। जैसे ही कोई सरकारी या प्राइवेट बस नोएडा, गाजियाबाद या अन्य किसी स्थान से प्रवासी मजदूरों को लेकर आती है तो तत्काल सभी मजदूरों की स्क्रीनिग/चिकित्सीय जाँच की जाए तथा यथा आवश्यक क्वारेन्टीन/आइसोलेशन की कार्यवाही भी सुनिशिचित की जाए। उक्त कार्यवाही की सूची बिना किसी चूक के तैयार की जाए।

2– उक्त के अतिरिक्त प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की उपलब्ध करायी गयी बसों की सूची के अनुरूप जनपद में पहुँचने वाली बसों की सूचना का विवरण भी गृह विभाग के व्हाट्सएप नम्बर पर प्रत्येक दो घंटे पर अद्यतन करना सुनिश्चित करें।

भवदीया

(वी0 हेकाली झिमोमी)
सचिव।

संख्या–738(1)/पांच–5–2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, संचारी रोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव

vk sir.go-com4